गोरखनाथ, भा.प्र.से., आयुक्त, पूर्णियॉ प्रमण्डल के द्वारा दिनांक– 08.06.2022 को जिला विकास प्रशाखा, किशनगंज का किये गये निरीक्षण टिप्पणी :–

---

1. सामान्य परिचय :– जिला विकास प्रशाखा, कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, भवन के निचले तल में अवस्थित है। जिला विकास प्रशाखा में पूर्व में सांसद योजना एवं अन्य योजनाओं से संबंधित कार्यो के अतिरिक्त जिलान्तर्गत विभिन्न विकास योजनाओं के अनुश्रवण एवं नियंत्रण का कार्य सम्पादित किया जाता था। कालान्तर में उक्त योजनाओं के अनुश्रवण एवं नियंत्रण संबंधी कार्यो का निष्पादन जिला योजना कार्यालय, किशनगंज के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार पूर्व में विभिन्न अभियंत्रण विभागों यथा पथ प्रमण्डल, भवन निर्माण प्रमण्डल, लोक स्वा0 अभि0 प्रमण्डल इत्यादि के विभिन्न निर्माण कार्यो का भी अनुश्रवण एवं नियंत्रण जिला विकास प्रशाखा, किशनगंज में किया जाता था, जो वर्त्तमान में जिला योजना कार्यालय किशनगंज से सम्पादित किया जा रहा है। सम्प्रति जिला विकास प्रशाखा, किशनगंज के द्वारा शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विभिन्न कार्यो का अनुश्रवण एवं नियंत्रण किया जाता है। शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग/राज्य स्वास्थ्य समिति से संबंधित विभिन्न पत्र जो जिला पदाधिकारी, किशनगंज को संबोधित रहते है, का उपस्थापन उप विकास आयुक्त, किशनगंज के माध्यम से जिला पदाधिकारी, किशनगंज के समक्ष उपस्थापित किये जाते है, ताकि शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग/राज्य स्वास्थ्य समिति से निर्गत विभिन्न अनुदशों/निदेशों का पूर्णतया अनुपालन कराया जा सकें।

2. प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास प्रशाखा, किशनगंज :– वर्त्तमान में श्री श्वेतांक लाल, बि.प्र.से., दिनांक– 20.06.2020 से प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास प्रशाखा, किशनगंज के रूप में कार्यरत है। इसके पूर्व श्री विकास कुमार बि.प्र.से., प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास प्रशाखा, किशनगंज के प्रभार में थे।

3. स्थापनाः– जिला विकास प्रशाखा, किशनगंज में स्वतंत्र रूप से पद सृजित नहीं है। यहाँ कर्मियों का पदस्थापन जिला स्थापना प्रशाखा के माध्यम से होता है। जिला विकास प्रशाखा में प्रधान लिपिक का एक पद चिन्हित है। वर्तमान में जिला विकास प्रशाखा में कार्यरत बल का विवरण निम्नवत् है :–

क्र.	कर्मी का पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त बल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	प्रधान लिपिक	01	0	01	
2	उच्च वर्गीय लिपिक	00	01	—	प्रतिनियुक्त
3	निम्न वर्गीय लिपिक	00	01	—	अनुबंध पर प्रतिनियुक्त

इसके अतिरिक्त जिला विकास प्रशाखा में श्रीमती खुशबू कुमारी साहा, कार्यपालक सहायक एवं श्री शत्रुधन ठाकुर, कार्यालय परिचारी प्रतिनियुक्त है।

4. ब्रेडा (BREDA), बिहार, पटना से कर्मियों की प्रतिनियुक्ति :– श्री प्रवीण कुमार भारती, कनीय अभियंता, ब्रेडा द्वारा दिनांक–30.05.2022 को योगदान दिया गया है। इनका कार्य जिलान्तर्गत स्थापित विभिन्न सौर यंत्रों को निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करना है तथा विभिन्न सौर यंत्रों में आयी तकनिकी खामियों का निराकरण

करना है। उक्त हेतु तकनिकी कर्मी के द्वारा क्षेत्र भ्रमण किया जाता है तथा क्षेत्र भ्रमण के दौरान पायी गयी कमियों को दूर किया जाता है।

5. जिला विकास प्रशाखा, किशनगंज में पदस्थापित/प्रतिनियुक्त कर्मियों के बीच कार्यो का बंटवारा :-

क्र.	पदस्थापित/प्रतिनियुक्त कर्मियों के नाम एवं पदनाम	आवंटित कार्य
01	श्री दिलीप कुमार दास उच्च वर्गीय लिपिक, जिला विकास प्रशाखा, किशनगंज।	1. विद्युत विभाग से संबंधित लाईसेंस निर्गत करने संबंधी कार्य। 2. ब्रेडा से संबंधित पत्रों का उपस्थापन। 3. प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास प्रशाखा, किशनगंज द्वारा दिये गये अन्यान्य कार्य।
02	श्री शमसाद आलम, अनुबंध लिपिक, जिला विकास प्रशाखा, किशनगंज।	1. जिला विकास प्रशाखा में प्राप्त सभी पत्रों का उपस्थापन। 2. प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास प्रशाखा, किशनगंज द्वारा दिये गये अन्यान्य कार्य।

निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि दिनांक 29.07.2019 के बाद विद्युत लाईसेंसिंग बोर्ड की बैठक जिला स्तर पर आयोजित नहीं हुई है जबकि सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा सुयोग्य व्यक्तियों को विद्युत लाईसेंस देने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि बैठक आयोजित कर ऐसे मामलों पर निर्णय लिया जाय।

6. पूर्व निरीक्षण :-निरीक्षण के क्रम में सर्वप्रथम उप विकास आयुक्त द्वारा ग्रामीण विकास अभिकरण का पूर्व में किये गये निरीक्षण पंजी का अवलोकन किया गया। इसमें पाया गया कि पूर्व में डॉ. आदित्य प्रकाश, भा.प्र.से., जिला पदाधिकारी किशनगंज द्वारा दिनांक-16.07.2020 को जिला विकास प्रशाखा, किशनगंज का निरीक्षण किया गया है पर निरीक्षण टिप्पणी अप्राप्त रहने के कारण अनुपालन प्रतिवेदन नहीं पाया गया ।

प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा, किशनगंज को निदेश दिया गया कि समय-समय पर कार्यालय का निरीक्षण करें एवं निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये निदेशों का अनुपालन के रक्षी संचिका में संधारित किया जाय। वरीय पदाधिकारियों के द्वारा किये गये निरीक्षण के पश्चात प्राप्त टिपपणी का अनुपालन कर रक्षी संचिका में रखी जाय।

7. सेवा पुस्त:- कर्मियों की प्रतिनियुक्ति रहने के फलस्वरूप सेवा पुस्त मूल पदस्थापन स्थान में संधारित है।

8. भंडार पंजी :- जिला विकास प्रशाखा, किशनगंज में लेखन सामग्री एवं अन्य सामग्रियों की आपूर्त्ति जिला नजारत प्रशाखा, किशनगंज से किया जाता है, जिसका अस्थायी भंडार पंजी संधारित है।

9. अनुक्रमणिका पंजी :- जिला विकास प्रशाखा, किशनगंज में अनुक्रमणिका पंजी विहित प्रपत्र अनुसूचि-53 फार्म संख्या-03 में संधारित है।

10. कार्यतालिका :- कार्य-तालिका बैठने के स्थान के पीछे प्रदर्शित है।

11. कर्म-पुस्त:- सभी कर्मियों का कर्म-पुस्त संधारित है एवं अद्यतन है। इस प्रशाखा में कार्यरत लिपिकों का कर्मपुस्त संधारित है।

निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कर्म पुस्तिका का संधारण सही ढ़ंग से नहीं किया जा रहा है। संबंधित सहायकों द्वारा कई महीनों के पश्चात पत्रों का उपस्थापन संचिका में करते हैं जो नियमानुकूल नहीं है। प्राप्त पत्रों को ससमय संचिका में उपस्थपित कर निर्गत कराने का निदेश दिया गया।

12. रक्षी संचिका:— सभी आदेश एवं अनुदेश से संबंधित पत्रों का रक्षी संचिकाएँ संधारित है।

13. उपस्थिति पंजी :— समाहरणालय, किशनगंज में बायोमैट्रीक्स उपस्थिति दर्ज होती है।

14.संचिका पारगमन पंजी :— संचिका पारगमन पंजी संधारित है।

15. जन शिकायत से संबंधी पंजी :—जन शिकायत से संबंधी पंजी संधारित है।

इस पंजी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जन शिकायत पंजी में सिर्फ 03 शिकायत ही दर्ज किया गया है जो दिनांक—01.01.2021 के बाद का है। उसके पहले का कोई रिकार्ड नहीं पाया गया। निदेश दिया गया कि प्राप्त आवेदन को जन शिकायत पंजी में दर्ज करें फिर किस संचिका में संधारित किया गया है उसे पंजी में दर्ज करें तथा निर्गत संख्या भी डालना है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जन शिकायत पंजी का संधारण इस शाखा में विधिवत तरीके से नहीं किया जाता है।

16. प्राप्त पत्रों एवं निर्गत पत्रों की अद्यतन स्थिति :—

क्र.	वर्ष	प्राप्त पत्र	निर्गत पत्र	अभ्युक्ति
01	2020	330	302	
02	2021	210	230	
03	2022	67	90	

आगत पंजी के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि आगत पंजी का संधारण सही ढ़ंग से संधारित नहीं किया जा रहा है। श्री दिलीप कुमार दास, उच्च वर्गीय लिपिक, जिला विकास शाखा का आगत पंजी के माध्यम से प्राप्त पत्र का अवलोकन किया। एक पत्र अंचल अधिकारी, बहादुरगंज से दिनांक—27.01.2022 को आया है पर पत्र कहाँ गया यह आगत पंजी से स्पष्ट नहीं होता है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास प्रशाखा, किशनगंज को निदेश दिया गया कि इसके लिए श्री दिलीप कुमार दास उच्च वर्गीय लिपिक से स्पष्टीकरण माँग कर सम्यक कार्रवाई की जाय।।

17. अन्यान्य :— जिला विकास प्रशाखा के कार्यों के सफल संचालन हेतु सुयोग्य एवं सक्षम लिपिकों की आवश्यकता के बारे में प्रभारी विकास के द्वारा बताई गई।

18. टिप्पणीः— पूरे कार्यालय के निरीक्षण के पश्चात यह पाया गया कि कार्यालय के पंजियों का रख—रखाव, अभिलेखों का संधारण, संचिकाओं का निष्पादन, प्राप्त पत्रों पर अंतिम कारवाई किये जाने तथा उसके लगातार अनुश्रवण हेतु कार्यालय स्तर पर कोई अच्छी व्यवस्था(**Mechanism**) नहीं है।

2. इस कार्यालय से विद्युत कार्य करने हेतु लाइसेंस देने की कारवाई की जाती है पर कई वर्षो से इसकी बैठक नहीं हुई है और योग्य व्यक्तियों/आवेदकों को ससमय लाईसेंस प्राप्त नहीं हो रहा है जिस कारणवश भवन निर्माण कार्य में विद्युत कार्य करने वाले लाइसेंसधारी का अभाव है। जिला पदाधिकारी को प्रत्येक छः माह पर इसकी बैठक कर इस संबंध में स्पष्ट निर्णय लेने का निदेश दिया गया।

3. विकास योजनाओं में पाई जाने वाली गड़बड़ियों के संबंध में प्राप्त जन शिकायतों को प्रभावी तरीके से निपटाने की कोई व्यवस्था नहीं पाई गई। इस संबंध में यह पाया गया कि जन शिकायत संबंधी पत्र पर समुचित कारवाई हेतु अधीनस्थ पदाधिकारियों को भेज दिये जाते हैं पर उस पत्र पर क्या कारवाई हुई है इसकी कोई जानकारी इस कार्यालय को प्राप्त नहीं रहती है और न ही ऐसे मामलों को निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत निष्पादित करने एवं अनुश्रवण की व्यवस्था है।

4. इन बिन्दुओं पर ध्यान देकर कार्यालय कार्यप्रणाली को प्रभावी एवं सुदृढ़ तरीके से चलाये जाने की आवश्यकता है। इस हेतु प्रभारी पदाधिकारी, विकास शाखा तथा उप विकास आयुक्त, किशनगंज सम्यक कारवाई करेंगे तथा जिला पदाधिकारी, किशनगंज इनके कार्यों की समय–समय पर समीक्षा कर इसका अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन जिला पदाधिकारी / उप विकास आयुक्त)

14/6/22

आयुक्त,
पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।

ज्ञापांकः– 136 / C पूर्णियाँ, दिनांकः– 15.06.22 /

प्रतिलिपिः (1)–जिला पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
(2)– उप विकास आयुक्त, किशनगंज या को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
(3)– प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास प्रशाखा, किशनगंज सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

14/6/22

आयुक्त,
पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ

ज्ञापांकः– 136 / पूर्णियाँ, दिनांकः– /

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ / कटिहार / अररिया को सूचनार्थ एवं समरूप मामले में सम्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

14/6/22

आयुक्त,
पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ

ज्ञापांकः– 136 / पूर्णियाँ, दिनांकः– /

प्रतिलिपिः– विकास आयुक्त, बिहार, पटना / सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

14/6/22

आयुक्त
पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ